



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/पीआरएन-उत्तर-प्रथम/2022/डी-

610

दिनांक:- 24/05/22

मैसर्स नईनाथ बिल्डकाम जरिये पार्टनर
नईनाथ कामोडिटीज प्रा.लि. जरिए
निदेशक ओमप्रकाश गुप्ता पुत्र श्री शिव दयाल गुप्ता
पता- 168 गिराज कॉलोनी, सांउथ वैशाली नगर,
जयपुर।



विषय - म्युचुअल हाउसिंग कॉ-आपरेटिव सोसयटी की योजना "नारायणपुरी-सी", राजस्व ग्राम- विशनावाला, तहसील जयपुर के भूखण्ड संख्या सी-11 & सी-12(North) क्षेत्रफल 935.97 वर्गगज (782.59वर्गमीटर) का आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

आप द्वारा दिनांक 09.05.2022 को भवन मानचित्र अनुमोदन हेतु किये गये आवेदन अनुसार म्युचुअल हाउसिंग कॉ-आपरेटिव सोसयटी की योजना "नारायणपुरी-सी", राजस्व ग्राम- विशनावाला, तहसील जयपुर के भूखण्ड संख्या सी-11 & सी-12(North) क्षेत्रफल 935.97 वर्गगज (782.59वर्गमीटर) पर स्टील्ट + ऊंचाई 17.97 मीटर (आवेदन अनुसार) एवं आवासीय ईकाई के आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति जोनल लेवल कमेटी के निर्णय दिनांक 16.05.2022 के द्वारा किया गया है। जोन स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.05.2022 में लिये गये निर्णयानुसार आवासीय भूखण्ड पर आवासीय भवन मानचित्र अनुमोदन की स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गई है:-

1. यह भवन अनुज्ञा (लीजडीड जारी से) 07वर्ष तक प्रभावी हैं।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृत भवन मानचित्र जविप्रा भवन अधिनियम 2020 एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी भवन मानचित्र के आदेशों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवनमान चित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. भवन विनियम 2020 के विनियम 10.11.2 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. भवन विनियम 2020 के विनियम 10.11.4 के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. भवन विनियम 2020 के विनियम 10.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. भवन विनियम 2020 की धारा 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जीकन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
8. आप द्वारा जविप्रा विनियम 2020 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा जिसमें संबंधित जोन के उपायुक्त एवं प्रवर्तन अधिकारी के टेलिफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माण कर्ता द्वारा मौके पर रखी जावेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूस्वामी, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगा।
10. आप द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रीजन भवन विनियम 2020 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण का प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से प्राधिकरण को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रीजन भवन विनियम 2020 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतमसीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
पीआरएन-उत्तर (प्रथम)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

- कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य होतो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियां इस प्रकार लगाए कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हो।
 14. भू-स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
 15. भू-स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
 16. तकनीकी विज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकी विज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
 17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लैट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
 18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2020 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
 19. भवन परिसर में ही आगन्तुकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगन्तुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
 20. प्राइवेट डवलपर्स (निजी विकास कर्ता) को मौके पर क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जांच की जाये।
 21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होंगे।
 22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
 23. भवन का उपयोग प्रारम्भ होने पर एक केयरटेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास का प्लान (Escape Plan) भी उपलब्ध रहे। इस प्रकार नियुक्त केयरटेकर के मोबाइल नंबर एवं L and Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व प्राधिकरण को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
 24. जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर रीजन भवन विनियम 2020 की धारा 18.3 की अनुपालना में गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदन कर्ता को दोषी माना जायेगा।
 25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लम्बित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात् यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लम्बित है अथवा विपरित निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
 26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।
 27. भवन निर्माण के समय सामग्री से आस-पास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।
 28. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भूकम्प रोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
 29. भवन निर्माण इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाणपत्र के आवेदन के साथ अग्नि शमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय के जमा कराना होगा, उसके पश्चात् ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

संलग्न:- अनुमोदित भवन मानचित्र की प्रति का एकसैट

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-प्रथम
जयपुर जविप्रा-जयपुर

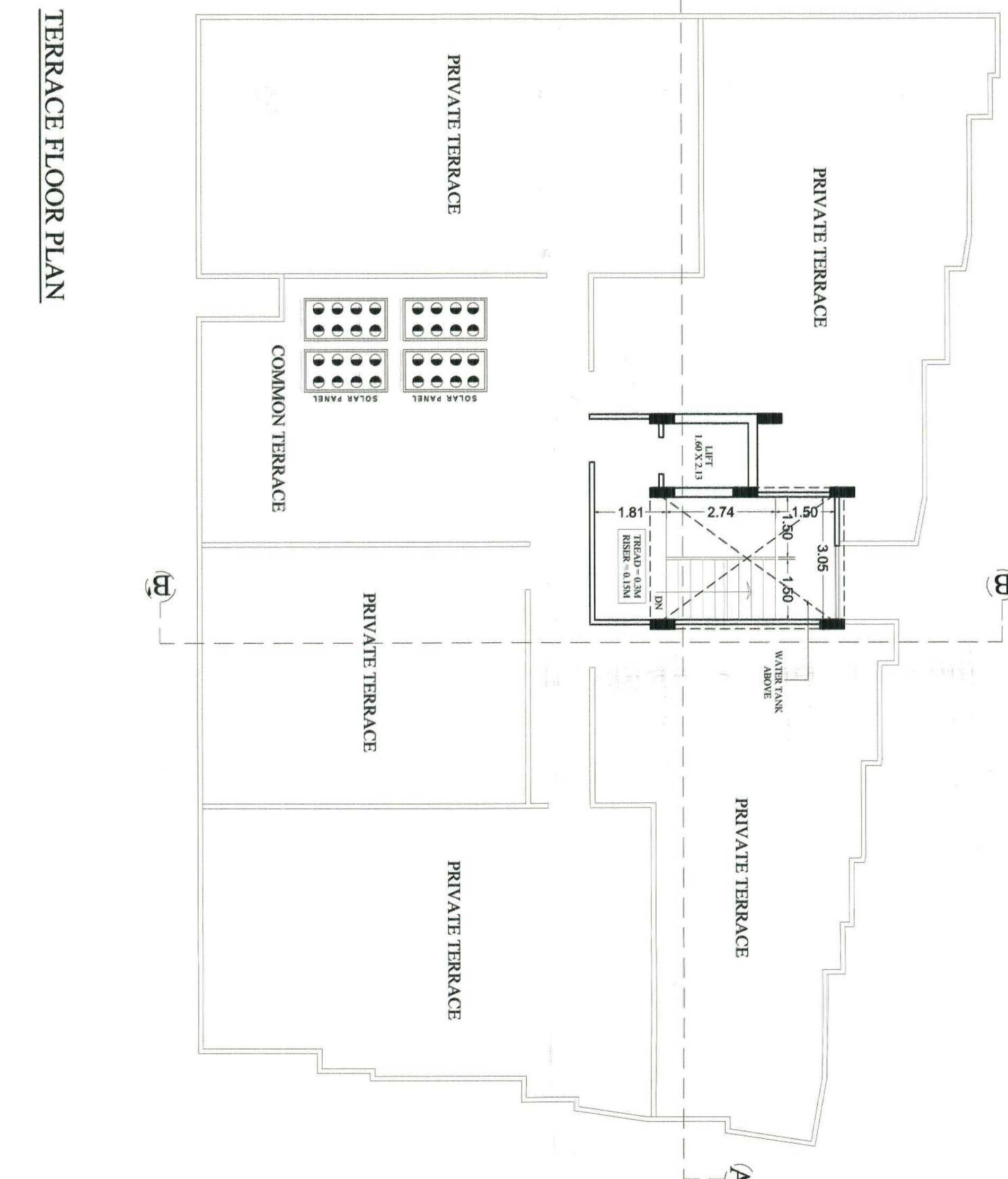
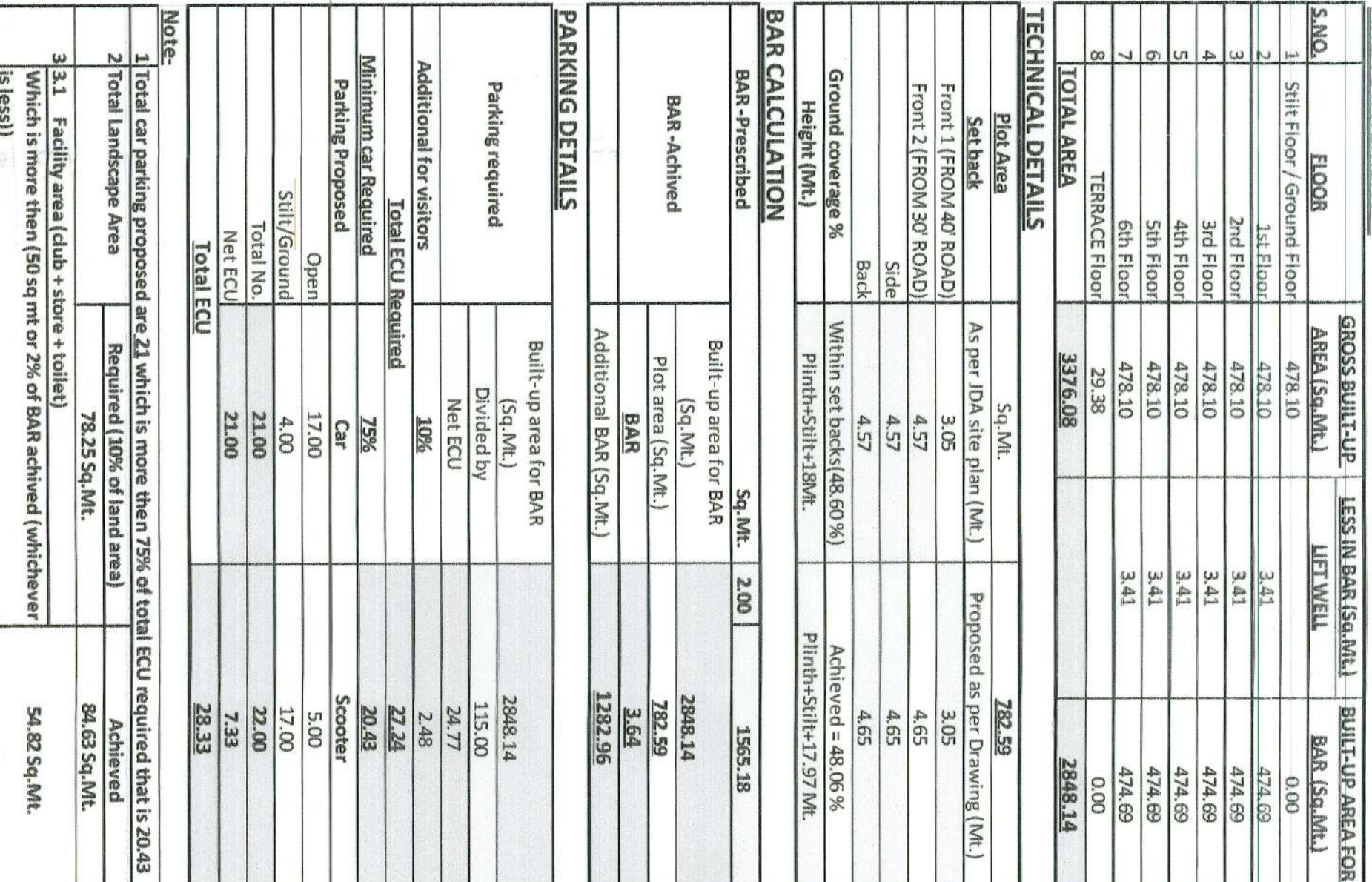
प्रतिलिपी :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रवर्तन अधिकारी, पी.आर.एन.-उत्तर-प्रथम, जविप्रा, जयपुर।
2. सहायक नगर नियोजक/कनिष्ठ अभियन्ता जोन पीआरएन-उत्तर-द्वितीय, जविप्रा, जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-प्रथम
जविप्रा-जयपुर

[illegible]

TYPICAL FI 00P (1st TO 4th) DI AMI



31.93 [104'-9"]
ROAD 12.19M (40'-0") WIDE

TERRACE FLOOR PLAN

24/9/22

ON PLOT NO. :-
C-11 & C-12(NORTH)
NARAYAN PURI 'C',
JAIPUR, RAJASTHAN

1:100

01

TOTAL SHEET = 2

OWNER :-

For MAINATH BUILDCON

ARCHITECT :-

LOKESH KUMAR GARG
Council of Architectural
Regd. No. CA/2006/38811

 सहायक ना. नियाजक
 जेने-
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

 २३/०१
 उपायुक्त एवं प्राविधिक अधिकारी
 रीक्षण-
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

ON PLOT NO. :-
C-11 & C-12(NORTH)
NARAYAN PURI 'C',
JAIPUR, RAJASTHAN

SECTION FOR RAIN WATER HARVESTING (NOT TO SCALE)

RAINWATER INLET

RAINWATER FILTER

RAINWATER TANK

RAINWATER OUTLET

RAINWATER STORAGE TANK

RAINWATER DISTRIBUTION SYSTEM

RAINWATER DISTRIBUTION TANK

RAINWATER DISTRIBUTION SYSTEM

RAINWATER DISTRIBUTION TANK

1:100

02

TOTAL SHEET = 2

OWNER :-

For NAINATH BUILDCOM


PARTNER

Digitally signed by Mr. Nainath DN: cn=Mr. Nainath, o=, ou=, email=nainath@nainath.com, c=IN

ARCHITECT :-

LOKESH KUMAR GARG
Council of Architectural
Regd. No. CA/2006/38811